2015/00018

36

Reader - I

न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

प्रकरण संख्या : 11/2015

प्रार्थी / अपीलार्थी :–		अप्रार्थी / रेस्पोण्डेंट्स:–
श्री हकजी पिता श्री धनजी जाति भील निवासी ग्राम भोयन तहसील बागीदौरा जिला बांसवाड़ा	बनाम	1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, कार्यालय–बी 59, बापु नगरा, पश्चिम रोड़ नं. 5, सेती, चित्तोड़गढ। 2. तहसीलदार, बागीदौरा। 3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा।

उपस्थित

श्री भगवत पुरी, –अधिवक्ता प्रार्थी

श्री हीरालाल जैन, – अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 1

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत् प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु

निर्णय

दिनांक :– 18–12–2017

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 बाबत् प्रतिकर राशि विनिर्धारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया कि, प्रार्थी की खातेदारी की कृषि भूमि आराजी सर्वे नम्बर 199 रकबा 0.0764 हैक्टर मौजा ग्राम भोयन में स्थित है। कदिमाना समय से प्रार्थी व उनके पूर्वजों के कब्जे काश्त कीहोकर उक्त भूमि का स्वामित्व व आधिपत्य प्रार्थी के अनन्य कब्जे का है, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा ने अपने आदेश / अवार्ड संख्या 111 दिनांक 23–04–2015 से पाड़ी से दाहोद सड़क एन.एच. 113 को चौड़ा करने एवं बायपास इत्यादि के निर्माण हेतु किमी 181.900 से 196.800 एवं 214.4000 से 224.500 किमी तक में आने वाली भूमि को अवाप्त किये जाने के संबंध में

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

अवार्ड जारी किया है। प्रत्यर्थी संख्या 3 सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अवार्ड में प्रार्थी के उक्त वर्णित कृषि भूमि की मुआवजा राशि रूपया 894000/– प्रति हेक्टर की दर से कुल मुआवजा राशि रू0 68301/– स्वीकृत की गई है। जो प्रतिकर राशि की दर भी बाजार मूल्य से अत्यन्त न्यून निर्धारित किया गया है। उक्त अवार्ड में प्रार्थी को दी गयी प्रतिकर राशि को प्रार्थी स्वीकार नहीं करता है। प्रत्यर्थी संख्या 3 का उक्त अवार्ड अविधिपूर्ण, मनमाना होने से अपास्त किये जाने योग्य है व प्रतिकर राशि पुनः निर्धारित किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी प्रश्नगत भूमि का स्वामी होकर हितबद्ध व्यक्ति हैं तथा प्रस्तावित अधिनिर्णय प्रतिग्रहित नहीं करता हैं एवं प्रार्थी इस न्यायालय द्वारा अवार्ड का पुनः अवधारणा करना चाहता हैं। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थी को कानूनन हक प्राप्त है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 (जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान हैं, जिसमें भूमि के बाजार मूल्य, अवाप्ति से हुई क्षतियों को ध्यान में रखकर हितबद्ध व्यक्ति के नाम अवार्ड पारित किया जाना आवश्यक है। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वार कानूनी प्रावधानों को नजरंदाज करते हुए प्रश्नगत अवार्ड पारित किया है, जो अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का 200 फीट गहरा कुआ है, जिसकी क्षतिपूर्ति राशि 100732/– मात्र ही दिलाया गया है, जो अत्यधिक न्यून है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर किमती लकड़े के पेड़ व फलदार वृक्ष 4 आम के वृक्ष, 4 नीम के वृक्ष, 2 बेर के वृक्ष, 1 सागवान का वृक्ष, 1 गनियारा का वृक्ष, 5 बबूल के वृक्ष, 1 वट वृक्ष, 5 निलगिरी के वृक्ष मौजुद हैं, तथा 48 वर्गफीट का 3 कमरों का पक्का मकान बना हुआ है। किन्तु प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा प्रश्नगत अवार्ड में इनमें से कुछ भी अंकित नहीं किया है एवं कोई राशि नहीं दिलायी गयी है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा कृषि भूमि पर मौजुद कुए की किमत 200000/–रू0 है व मकान की किमत 500000/–रू0 है, तथा भूमि पर स्थित किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों की किमत 225000/– है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी की अवाप्तशुदा कृषि भूमि पर स्थित फलों के पेड़ों से प्रार्थी को प्रतिवर्ष 20000/–रू0 की आय होती है। किन्तु उक्त सभी तथ्यों को व परिस्थतियों को नजरअदाज करते हुए

प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्रश्नगत अवार्ड पारित किया है, जो मनमाना व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किया जाने योग्य है। प्रार्थी की अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित परिसम्पत्ति– कुआ, मकान, किमती लकड़ी के पेड़ व फलदार वृक्षों का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है तथा उक्त मामले में पुनः न्याय निर्णय किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी की प्रश्नगत अवाप्तशुदा कृषि भूमि एवं परिसम्पत्तियों का निम्नानुसार मूल्यांकन किया जाकर तद्नुसार राशि दिलाये जाने हेतु निवेदन किया :–

क्र. सं.	सम्पत्ति	मूल्य
1	कृषि भूमि रकबा 5.7 बिस्वा	475000
2	कृषि भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां	925000
	योग	1400000
3	100% तोषण (सोलेशियम)	1400000
	योग	2800000

उक्तानुसार राशि रूपया 28.00 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया। प्रार्थीगण को नोटिस नहीं मिल पाने के कारण अवाप्ति की सम्पूर्ण कार्यवाही में भाग नहीं ले पाए, तथा इसकी पैरवी नहीं की जा सकी। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा जारी अवार्ड संख्या 111 दिनांक 23–04–2015 से असंतुष्ट होकर उक्तानुसार राशि रूपया 28.00 लाख मय ब्याज दिलाये जाने निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 1 की ओर से श्री हीरालाल जैन, अधिवक्ता द्वारा अभिभाषक पत्र प्रस्तुत किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा विधिवत् जांच कराने के पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार द्वारा उसकी विधिवत् जांच रिपोर्ट एवं कार्यालय में उपलब्ध राजस्व रिकार्ड के आधार पर पेश की जाती है और कानून के प्रावधानों के अनुसार ही प्रकरण में अवाप्त की जाने वाली भूमि का प्रतिकर सक्षम प्राधिकारी द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अनुसार

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
अलवर

निर्धारित किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा द्वारा उनके क्षेत्राधिकार में अधिगृहण की गई भूमि के संबंध में अवार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के आधार पर जारी किये गये हैं। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में अप्रार्थी संख्या 1 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा भूमि अधिग्रहण हेतु जारी अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रकरण में दिनांक 23–04–2015 को भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा अवाप्त की जाने वाली भूमि के संबंध में अवार्ड जारी किया गया है, तथा प्रश्नगत प्रार्थना पत्र कानून के प्रावधानों के विपरीत काफी विलम्ब से पेश किया गया है, जो म्याद बाहर होने से काबिल निरस्ती है। प्रार्थी ने जिन आधारों पर यह प्रार्थना पत्र पेश किया है, वह भी मनमाने ढंग से राशि की मांग करने हेतु पेश किया है। कानून के प्रावधानों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जो भी अन्तिम अवार्ड जारी किया जाता है, उसके अनुसार अप्रार्थी संख्या 1 भुगतान कर सकता है। इससे परे किसी प्रकार की कोई रकम क्षतिपूर्ति के रूप में अदा नहीं की जा सकती है। प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 2 सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति), उपखण्ड अधिकारी, बागीदौरा द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय) परियोजना कार्यान्वयन ईकाई, चित्तोड़गढ के पत्रांक 36 दिनांक 12–04–2016 के द्वारा स्पष्ट किया गया है कि अवाप्ताधीन भूमि के हितबद्ध कृषक के खाते में 31–12–2014 तक मुआवजा राशि स्थानान्तरित नहीं की गई हो तो सम्पूर्ण प्रकरणों का मुआवजा भूमि अर्जन, पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकारी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत पुनः निर्धारित किया जाना चाहिए। प्रासंगिक प्रकरण में उक्त पत्र के सम्बन्ध में मुआवजा पुनः निर्धारण की कार्यवाही जारी है। प्रकरण में राजस्थान सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(3)राज.6 / 211 पार्ट

दिनांक 14–06–2016 में दी गई व्यवस्था के अनुसार मुआवजे के पुनः निर्धारण की कार्यवाही जारी है।

दिनांक 18–12–2017 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाए। कृषि भूमि एवं उस पर स्थित परिसम्पत्तियों की कुलिया राशि 14.00 लाख एवं इस पर 100% तोषण (सोलेशियम) की राशि 14.00 लाख कुल राशि रूपया 28.00 लाख एवं उस पर अधिसूचना की तिथि से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की राशि प्रार्थी को दिलाये जाने हेतु निवेदन किया।

अप्रार्थी संख्या 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपने जवाब प्रस्तुत किये गये तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा भूमि अधिगृहण हेतु जारी अवार्ड राशि के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये अवार्ड में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को किसी प्रकार का संशोधन करने का अधिकार नहीं है। अधिगृहण की गई भूमि का अवार्ड के अनुसार उसका भुगतान सक्षम प्राधिकारी के माध्यम से नियमानुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। प्रश्नगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी द्वारा काफी विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। उक्त आधारों पर प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बागीदौरा द्वारा प्रार्थी के प्रकरण में मुआवजा पुनः निर्धारण की कार्यवाही जारी है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रार्थी की

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

अवाप्तशुदा कृषि भूमि एवं उस पर निर्मित परिसम्पत्तियों के मुआवजे की राशि प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुई है, जो कि प्रार्थी प्राप्त करने का अधिकारी है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। विपक्षी संख्या 2 भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बागीदौरा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवाप्तशुदा कृषि भूमि एवं परिसम्पत्तियों का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना कर प्रार्थी के नाम से अवार्ड जारी किया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, चित्तोड़गढ (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार पर प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 18–12–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा